



राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर

हमीरपुर (हि.प्र.) - 177 005 (भारत)

[भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान]

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY HAMIRPUR

HAMIRPUR (H.P.) - 177 005 (INDIA)

[An Institute of National Importance under Ministry of Education (Shiksha Mantralaya)]

अधिसूचना

ACoNFAR की दिनांक 05/06/2023 की बैठक के कार्यवृत्त की सिफारिशों और उसके बाद सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के दिनांक 08/06/2023 के अनुमोदन के आधार पर, सीधी भर्ती कोटे की 5% रिक्तियों की सीमा के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर भर्ती वर्ष 2025 के दौरान भरने के लिए निम्नलिखित गुप - सी पदों को आइडेन्टीफाइड किया जाता है: -

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्ति
1	कनिष्ठ सहायक (Level-3/Pay Band 5200-20200/GP 2000)	01
2	तकनीशियन (Level-3/Pay Band 5200-20200/GP 2000)	01
3	आशुलिपिक (Level-4/Pay Band 5200-20200/GP 2400)	01

इसके अलावा, दिनांक 06/12/2024 को समिति द्वारा अनुशंसित अंक आधारित योग्यता प्रणाली (आरएमपीएस) के तहत 100-बिंदु मानदंड और दिनांक 24/01/2025 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन को भी भर्ती चक्र - 2025 के दौरान भर्ती नियम -2019 के अनुसार आइडेन्टीफाइड गुप-सी रिक्तियों को भरने के लिए संस्थान में कार्यान्वित हेतु अधिसूचित किया गया है।

[Signature]
10/6/25
कुलसचिव

रा. प्रो. सं. हमीरपुर

No. NIT/HMR/Admn-517/Com. Appt./2025/ 3872-74

Dated: 10/06/25

प्रतिलिपि :

- एफआई (कम्प्यूटर सेंटर) को संस्थान की वेबसाइट पर "भर्ती" पोर्टल के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के लिए मानदंड प्रदर्शित करने के लिए।
- भर्ती अनुभाग.
- ACoNFAR फाइल.

[Signature]
कुलसचिव

रा. प्रो. सं. हमीरपुर



राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर

हमीरपुर (हि.प्र.) – 177 005 (भारत)

[भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान]

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY HAMIRPUR

HAMIRPUR (H.P.) - 177 005 (INDIA)

[An Institute of National Importance under Ministry of Education (Shiksha Mantralaya)]

NOTIFICATION

On the recommendations of ACoNFAR vide Minutes of Meeting Dated 05/06/2023 and subsequent approval of the Competent Appointing Authority dated 08/06/2023, the following Group – C posts are hereby identified for filling up on Compassionate grounds under the ceiling of 5% vacancies of Direct Recruitment Quota during recruitment year 2025: -

Sr. No.	Name of Post	Vacancy
1	Junior Assistant (Level-3/Pay Band 5200-20200/GP 2000)	01
2	Technician (Level-3/Pay Band 5200-20200/GP 2000)	01
3	Stenographer (Level-4/Pay Band 5200-20200/GP 2400)	01

Further the 100-Point Criterion under Relative Merit Point System (RMPS) recommended by the Committee dated 06/12/2024 and subsequent approval by the Competent Authority dated 24/01/2025 is also notified for implementation in the Institute to fill up the identified Group-C vacancies as per RRs-2019 during the recruitment cycle – 2025.

REGISTRAR
NIT Hamirpur

No. NIT/HMR/Admn-517/Com. Appt./2025/ 3872-74

Dated: 10/06/25.

Copy to:

1. FI (Computer Centre) to display the Criteria for Compassionate Appointment on Institute Website under "Recruitments" portal.
2. Recruitment Section.
3. ACoNFAR File.

REGISTRAR
NIT Hamirpur

Annexure I

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर

हमीरपुर (हि.प्र.) - 177 005 (भारत)

[भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान]

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY HAMIRPUR

HAMIRPUR (H.P.) - 177 005 (INDIA)

[An Institute of National Importance under Ministry of Education (Shiksha Mantralaya)]

Scheme for Appointments on Compassionate Basis — Point Based Merit System and procedure for selection

1. The Department of Personnel & Training under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions is the nodal department for Government of India's Scheme for Compassionate Appointments. Accordingly, the DoPT has issued consolidated instructions on compassionate appointment under the Central Government vide O.M. No. 14014/2012-Estt.(D) dated 16.04.2013 for dealing with the requests/applications seeking appointment on compassionate grounds and disposal of such requests/applications thereof.
2. The instructions referred in the aforesaid O.M. of the DoPT have been adopted for implementation at NIT Hamirpur by the Board of Governors vide item No. BoG/46/2021-10/13 in its 46th meeting as per directions received from MHRD vide Letter No. F.18-7/2017-TS.III dated 07.07.2017, as per decision of the Board of Governors communicated vide Notification No. NIT/HMR/Admn/BoG-46/202/12029-31 dated 08.12.2021.
3. Subsequently, the DoPT substituted the procedure are provided at Para 13 of the O.M. dated 16.1.2013 with revised procedure provided in Appendix of O.M. No. F.No. 43019/9/2019-Estt(D) dated 23.08.2021 and also deleted the provision of getting the declaration/undertaking furnished by the applicant countersigned by two permanent government employees vide O.M. No. F.No. 14014/02/2012-Estt.(D) dated 07.10.2014. Later, the DoPT has again issued a Master Circular on Scheme of Compassionate Appointment vide O.M. No. 14014/02/2022-Estt.(D), dated 02.08.2022 consolidating all instructions issued till then for ready reference.
4. The object of the Compassionate Appointment Scheme is to grant appointment on compassionate grounds to a dependent family member of a Government servant dying in harness or who is retired on medical grounds, thereby leaving his/her family in penury and

without any means of livelihood and to relieve the family of the Government servant concerned from financial destitution and to help it get over the emergency.

5. The efficacy of the scheme is based on its transparency. It is this aspect, which is foremost and hence while considering a request for appointment on compassionate ground, a balanced and objective assessment of the financial condition of the family has to be made taking into consideration its assets & liabilities and all other relevant factors such as the earning capability of the family, size of family, age of children and the essential needs of the family etc. Therefore, in order to bring in more objectivity and transparency as well as streamline the process in dealing with requests/applications seeking compassionate appointment, it is imperative to adopt a Relative Merit Point system assigning maximum 100 points based on various parameters/attributes denoting the indigent condition of the family.

6. Accordingly, after deliberations upon various attributes/parameters of the applicants for compassionate appointment, a Relative Merit Point system assigning maximum 100 points based on various parameters/attributes for assigning weightage has been devised as appended at **Annexure-I**, which should be followed for ascertaining relative ranking of the applicants.

7. The applicants considered for compassionate appointment would be appointed within the prescribed ceiling of 5% of the direct recruitment vacancies of Group C posts.

8. The offer for compassionate appointment shall be made to the highest score earner.

9. While applying 100 points scale parameters, as mentioned in Annexure-I, if situation arises that some candidates secure equal marks in merit and Competent Authority is unable to decide the merit of such candidates, then the following tie breaking factors would be considered in the following order, to take up the final decision:

i. **Per dependent available income**, that is, total of first three financial parameters prescribed in Annexure -I, (Annualized Monthly Family Pension, Total Terminal Benefits and annual income of earning members and income from property) divided by total number of dependents. The lesser, the per dependent available income, the higher the rank amongst the applicants whose scores had a tie.

ii. **Left-over service of Government servant.** Applicants related to Government servant with higher left-over service would be considered over the one with lesser left-over service. It is believed that the longer the left-over service of the deceased, the more is the impact on the family.

iii. **No. of physically/mentally challenged dependents & unmarried daughter(s).** The applicant having more number of such dependants would be given preference over the applicant having lesser number of dependents comparatively.

iv. **Age of the applicant.** Elder applicant would be given preference over the younger one relatively:

10. The tie breaking factor(s) in the order indicated above would be used only to decide relative merit of the applicants scoring same points on 100-point scale and only if the applicants scoring same points cannot be accommodated against available vacancies. Also, the order of the above factors would be strictly followed, in case of tie arising after applying the preceding factor.

11. The system of weightage not only awards objectivity to the entire method but also ensures complete transparency and uniformity in the selection process. Henceforth, weightage points system along with the instructions issued by the DoPT would be strictly followed for assessing comparative merit of the applicants for compassionate appointment.

12. The relevant documents in support of the relative merit point system as per the **Annexure- I** shall be submitted by the eligible candidates who claim to apply for compassionate appointment.

13. The applicant shall also submit an Undertaking stating that he/she will maintain properly the other family members who were dependent on the Government servant in question and in case it is proved subsequently (at any time) that the family members are being neglected or are not being maintained properly by him/her, his/her appointment may be terminated forthwith.

14. All the information/documents submitted by the applicants shall be subject to verification from the appropriate authorities. And, if the information/documents submitted by any applicant are found to be false/incorrect/forged, the application of the candidate would be

summarily rejected without any intimation. Further, even after the issue of offer of appointment and consequent upon joining the duty, if any false/incorrect information is found to be submitted, it may lead to cancellation of the offer of appointment and / or termination of the services forthwith. Such cases shall not be considered for appointment on compassionate basis in future cycles.

Relative Merit Point System (RMPS) for consideration of cases for Compassionate appointments

(A) 100 Point Criterion with 11 variables

(i) Basic family pension/pension/monthly amount received under NPS (Max 20 Points)

SN	Slabs (In Rs.)	Points
1	Upto 12500/-	20
2.	12501/- to 15500/-	18
3.	15501/- to 18500/-	16
4.	18501/- to 21500/-	14
5.	21501/- to 24500	12
6.	24501/- to 27500/-	10
7.	27501/- to 30500/-	08
8.	30501/- to 33500/-	06
9.	33501/- to 36500/-	04
10.	36501/- to 39500/-	02
11.	Above 39500/-	00

Note: To be verified from service records by the Administration Branch.

(ii) Lump sum amount received by the family on death/ retirement on medical grounds of the Government servant (DCRG, CGEGIS, GPF/Lump sum amount received under NPS & Leave Encashment) — (Max 10 Points)

SN	Slabs (In Rs.)	Points
1.	Upto 500000/-	10
2.	500001/- to 650000/-	09
3.	650001/- to 800000/-	08
4.	800001/- to 950000/-	07
5.	950001/- to 1 100000/-	06
6.	1100001/- to 1250000/-	05
7.	1250001/- to 1400000/-	04
8.	1400001/- to 1550000/-	03
9.	1550001 to 1700000/-	02
10.	1700001/- to 1850000/-	01
11.	Above 1850000/-	00

Note: To be verified from service records by the Administration Branch.

(iii) Monthly income of earning member(s) of family and income from property (Max 05 Points)

SN	Slabs (In Rs.)	Points
1.	No income	05
2.	7500/- or less	04
3.	7501/- to 10500/-	03
4.	10501/- to 13500/-	02
5.	13501/- to 16500/-	01
6.	16501/- and above	00

Note: To be verified from the documents (like bank statement, ITR, certificate from Revenue Authorities, statement of employer etc.,) and affidavit produced by the applicant.

(iv) Immovable/Movable Property including fixed deposit/bank deposits/investments etc., but excluding the Lump sum amount as mentioned in (ii) above - (Max 05 Points)

SN	Slabs (In Rs.)	Points
1.	Nil/-	05
2.	Upto 500000/-	04
3.	500001/- to 1000000/-	03
4.	1000001/- to 2000000/-	02
5.	2000001/- to 3000000/-	01
6.	Above 3000000/-	00

Note: To be verified from the service records, documents/affidavit/certificate from Revenue/Municipal Authorities/concerned departments etc., produced by the applicant and verified by the Competent Authorities. Also a declaration regarding the Movable and or Immovable property shall be obtained from the applicants, which shall be subject to verification.

(v) No. of dependents (Max 06 Points)

SN	No. of Dependents	Points
1.	3 and above	06
2.	02	04
3.	01	02
4.	00	00

Note: To be verified from service records and certified by the Administration Branch.

(vi) No. of Unmarried Daughters (Max 08 Points)

Sr. No	No. of unmarried daughters	Points
1.	2 and above	08
2.	01	04
3.	00	00

Note: To be verified from the service records. Unmarried status certificate/affidavit notarized by the District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate to be produced by the applicant.

(vii) No. of Minor Children (Max 08 Points)

Sr. No	No. of minor children	Points
1.	02 and above	08
2.	01	04
3.	00	00

Note: To be verified from service records and certified by the Competent Authorities.

(viii) Points for Liabilities Institutional loans or loans from reputed banks) of the deceased as on date of death/retirement on medical grounds of the government employee: (Max 05 Points)

Sr. No	Liabilities	Points
1.	Rupees 15,00,000/- and above	05
2.	Rupees 9,00,001/- to 12,00,000/-	04
3.	Rupees 6,00,001/- to 9,00,000/-	03
4.	Rupees 3,00,001/- to 6,00,000/-	02
5.	Upto 3,00,000 Rupees	01

Note: Supporting documents are to be submitted by the Applicant from the concerned Authorities.

(ix) Left over Service (Max 14 Points)

Sr. No	Left over service	Points
1.	Over 25 Years	14
2.	Over 20 years & upto 25 Years	12
3.	Over 15 years & upto 20 years	10
4.	Over 10 years & upto 15 years	08
5.	Over 05 years & upto 10 years	06
6.	Over 02 years & upto 05 years	04
7.	Less than 02 years	02

Note: To be verified from service records and certified by the Administration Branch.

(x) Points for immediate relief (Max 15 Points)

Sr. No	Age of cases	Points
1.	Upto 1 Year	15
2.	Over 1 year & up to 2 Years	12
3.	Over 2 years & up to 3 Years	09
4.	Over 3 years & up to 4 Years	06
5.	Over 4 years & up to 5 Years	03
6.	More than 5 ears	00

Note: To be verified from service records and certified by the Administration Branch.

(xi) Person with disabilities and chronic disease cases (Max 04 Points)


Sr. No	Description	Points
1.	If the applicant is a Person with Disability	04
2.	If the dependent family member (other than the applicant) is Person With Disability	03
3.	If the dependent family member is suffering from AIDS, Cancer, Kidney failure, heart attack, liver cirrhosis, Organ transplantation of liver/heart/kidney, Alzheimer.	02


Note: The disability as defined by DoP&T for reservation for persons with Disabilities from time to time for appointment in Central Government will be ensured. Related certificates are to be provided by the Applicant from Competent Authorities.


(B) Bonus Points


Bonus Points to Widow/Wife: In addition to the points allotted under RMP, 15 Bonus points will be allotted to applicant if she is the widow of the deceased employee/ wife of an employee who has retired on medical grounds.

XXXXXXXXXX


AR (Audit)
(Member)


DB (F&A)
(Member)


Prof. R. K. Dutta
(Member)


Registrar
(Member)


Chairman (ACoNFAR) 11/12/24
CHAIRMAN

UNDERTAKING

I, Shri/Smt

son/daughter/wife/husband of Late Shri/Smt,

resident of

.....

.....

.....

(full address) hereby undertake that:

i) I am married since (Date of marriage.....), and the names of my spouse and children are as follows. a)

b)

c)

ii) I am unmarried.

**Please strike off either (i) or (ii), whichever is not applicable.

Place

Date

Signature

(Name in Block letters)

Consent letter from the other dependent family members of

Late Shri/Smt.....

(Designation)

Subject: Application for appointment under the Compassionate category. Reference:
Application dated..... from Shri/Ms.

Shri/Smt....., Son/Daughter/Wife/husband of Late
Shri/Smt (deceased Govt. servant) has applied
for grant of appointment on compassionate grounds to the dependent family members of the
Government servant dying in harness.

2. We, the following other dependent family members of the deceased Government servant
Shri/Smt....., have no objection if the said and
appointment is given to the applicant Shri/Smt.
.....and hereby give our consent for the same,

**Name, address and dated signatures of all the adult dependent family members of the
deceased Govt. servant (other than the applicant)**

(1)

(2)

(3)

(4)

Affidavit to be produced by the Applicant on stamp paper

I,, son/ daughter/widow/widower of Shri/Smt. (deceased Govt. servant), Resident of have submitted an application for grant of appointment on compassionate grounds to a dependent family member of Govt. servant (dying in harness) or who retired on medical grounds, vide my application dated

I hereby solemnly affirm and declare as follows:

1. That, I am one of the dependent family members of the deceased Govt. servant Shri/Smt. and other adult dependent family members, whose details are given below have given consent that I may be considered for grant of appointment under compassionate category.

2. That, the details of all the dependent family members of the deceased Govt. servant Shri Smt..... are as follows **(including the applicant)**:

(Note: In case a married dependent daughter is such applicant, details of marital family i.e. husband/children along with present address/occupation should also be provided).

S. No	Name& address of the dependent family member	Relation-ship with deceased	Sex	Date of birth/ age	Marital Status	Whether employed, if yes, details, whether in Govt./ Semi Govt./ Pvt./ Regular/ Temporary/ Daily Wages	Monthly income/earning from all sources Including employment, business, rental income, Income from property etc.
1							
2							
3							
4							
5							
6							

7							
8							
9							
		Total monthly income of the family (including applicant)					

3. I also hereby declare that out of the dependent family members stated in para 2 above, following are the unmarried daughters of the deceased Govt. servant Shri/Smt.....:

Sl.No.	Name	Date of birth/age	Educational Qualification	Occupation
1				
2				
3				
4				
5				

4. That, the details of movable/ immovable property, either in the name of deceased Govt. servant Shri/Smt..... or myself or any other dependent family member of the deceased are as follows:

- i. No. of 2-wheeler vehicles (Scooter/ Motorcycle etc.):
- ii. No. of 4-wheeler vehicles (car/ jeep etc.)
- iii. Details of the residential property:

Location& details	Plot area (in sq.ft)	Built up area (in sq.ft.)	Whether used for self occupation or rented out	If rented out, the monthly rental income

iv. Agricultural Land:

Location& details	Areas (in Acres)	Monthly Income if any, from Agricultural Land

v. Commercial Property:

Location& details	Areas (in Sq. Ft.)	Monthly Income if any, from Commercial Property

Total Monthly income from immovable property: Rs. (Total of residential, agricultural & commercial)

5. That, the following are the details of liabilities in the name of deceased Govt. servant Shri/ Smt (bank loans/Govt. loan/ loans from other reputed lending agencies to be given, but excluding private/ family loans which are non- verifiable, **as on the date of death of Govt. servant/retirement of Govt Servant on medical grounds**):

S.No.	Nature of loan	Amount (as on date of death of deceased)	Copies of documents enclosed in support of claim
(i)	Bank loans payable		
(ii)	Govt. loans payable		
(iii)	Loans from other lending agencies payable		

(iv)	Other tangible liabilities verifiable as per documents/ specify)		
	Total		
Please enclose relevant document/certificates from the banks/ lending institutions.)			

6. I hereby also declare and undertake that on getting appointment under the compassionate category, I will support & maintain the other dependents/ family members of the deceased Shri/ Smt., including minor children and unmarried daughters.
7. It is understood to me that in case it is proved subsequently (at any time) that the other dependents/family members are being neglected or are not being maintained properly by me, my appointment can be terminated forthwith.

Deponent

(Applicant)

Verification: Verified at.....(place), on day that the contents of the Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein.

Deponent

(Applicant)



राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर

हमीरपुर (हि.प्र.) - 177 005 (भारत)

[भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान]

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY HAMIRPUR

HAMIRPUR (H.P.) - 177 005 (INDIA)

[An Institute of National Importance under Ministry of Education (Shiksha Mantralaya)]

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की योजना - अंक आधारित योग्यता प्रणाली और चयन की प्रक्रिया

1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की अनुकंपा नियुक्ति योजना के लिए नोडल विभाग है। तदनुसार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग करने वाले अनुरोधों/आवेदनों से निपटने और ऐसे अनुरोधों/आवेदनों के निपटान के लिए केंद्र सरकार के तहत अनुकंपा नियुक्ति पर समेकित निर्देश कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/2012-स्था.(डी) दिनांक 16.04.2013 जारी किए हैं।
2. डीओपीटी के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में संदर्भित निर्देशों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अपनी 46वीं बैठक में मद संख्या बीओजी/46/2021-10/13 के तहत एनआईटी हमीरपुर में कार्यान्वयन के लिए अपनाया गया है, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.18-7/2017-टीएस.III दिनांक 07.07.2017 के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के अनुसार तथा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के निर्णय के अनुसार अधिसूचना संख्या एनआईटी/एचएमआर/प्रशासन/बीओजी-46/202/12029-31 दिनांक 08.12.2021 के माध्यम से सूचित किया गया है।
3. इसके बाद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 16.1.2013 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 13 में दी गई प्रक्रिया को दिनांक 23.08.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं. 43019/9/2019-स्था. (डी) के परिशिष्ट में दी गई संशोधित प्रक्रिया से प्रतिस्थापित किया और दिनांक 07.10.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं. 14014/02/2012-स्था. (डी) के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा/वचन को दो स्थायी सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवाने के प्रावधान को भी हटा दिया। बाद में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 02.08.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/02/2022-स्था.(डी) के तहत अनुकंपा नियुक्ति योजना पर एक मास्टर परिपत्र फिर से जारी किया है, जिसमें आसान संदर्भ के लिए तब तक जारी सभी निर्देशों को समेकित किया गया है।
4. अनुकंपा नियुक्ति योजना का उद्देश्य सेवा के दौरान मृत सरकारी सेवक या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जिससे उसका परिवार गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना रह जाता है, के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करना है, तथा संबंधित सरकारी सेवक के परिवार को वित्तीय अभाव से राहत प्रदान करना और आपातकाल से उबरने में सहायता करना है।
5. इस योजना की प्रभावशीलता इसकी पारदर्शिता पर आधारित है। यह वह पहलू है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अनुरोध पर विचार करते समय, परिवार की वित्तीय स्थिति का एक संतुलित और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिसमें उसकी परिसंपत्तियों और देनदारियों, परिवार की कमाई करने की क्षमता, परिवार का आकार, बच्चों की आयु और परिवार की आवश्यक आवश्यकताओं आदि जैसे अन्य सभी प्रासंगिक कारकों

को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए, अधिक निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के साथ-साथ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अनुरोधों/आवेदनों से निपटने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, परिवार की दरिद्र स्थिति को दर्शाने वाले विभिन्न मापदंडों/विशेषताओं के आधार पर अधिकतम 100 अंक प्रदान करने वाली सापेक्ष योग्यता बिंदु प्रणाली को अपनाया अनिवार्य है।

6. तदनुसार, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदकों की विभिन्न विशेषताओं/मापदंडों पर विचार-विमर्श के बाद, विभिन्न मापदंडों/विशेषताओं के आधार पर अधिकतम 100 अंक प्रदान करने वाली एक सापेक्ष योग्यता बिंदु प्रणाली तैयार की गई है, जैसा कि **परिशिष्ट-1** में संलग्न है, जिसका आवेदकों की सापेक्ष रैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए पालन किया जाना चाहिए।
7. अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किए गए आवेदकों को ग्रुप सी पदों की सीधी भर्ती रिक्तियों के 5% की निर्धारित सीमा के भीतर नियुक्त किया जाएगा।
8. अनुकंपा नियुक्ति का प्रस्ताव सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले को दिया जाएगा।
9. **परिशिष्ट-1** में उल्लिखित 100 अंक स्केल मापदंडों को लागू करते समय, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि कुछ अभ्यर्थी योग्यता में समान अंक प्राप्त करते हैं और सक्षम प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की योग्यता तय करने में असमर्थ है, तो अंतिम निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित टाई ब्रेकिंग कारकों पर निम्नलिखित क्रम में विचार किया जाएगा:
 - i. **प्रति आश्रित उपलब्ध आय**, अर्थात् **परिशिष्ट-1** में निर्धारित पहले तीन वित्तीय मापदंडों (वार्षिक मासिक पारिवारिक पेंशन, कुल टर्मिनल लाभ और कमाने वाले सदस्यों की वार्षिक आय और संपत्ति से आय) का योग, आश्रितों की कुल संख्या से विभाजित। प्रति आश्रित उपलब्ध आय जितनी कम होगी, उन आवेदकों के बीच रैंक उतनी ही अधिक होगी जिनके स्कोर बराबर थे।
 - ii. **सरकारी कर्मचारी की बची हुई सेवा**, अधिक बची हुई सेवा वाले सरकारी कर्मचारी से संबंधित आवेदकों को कम बची हुई सेवा वाले आवेदकों की तुलना में अधिक विचार किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि मृतक की बची हुई सेवा जितनी लंबी होती है, परिवार पर उसका प्रभाव उतना ही अधिक होता है।
 - iii. **शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग आश्रितों और अविवाहित पुत्रियों की संख्या**, ऐसे आश्रितों की अधिक संख्या वाले आवेदक को तुलनात्मक रूप से कम आश्रितों वाले आवेदक की तुलना में वरीयता दी जाएगी।
 - iv. **आवेदक की आयु**, अधिक आयु वाले आवेदक को कम आयु वाले आवेदक की तुलना में अपेक्षाकृत वरीयता दी जाएगी।
10. ऊपर बताए गए क्रम में टाई ब्रेकिंग फैक्टर का उपयोग केवल 100-पॉइंट स्केल पर समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों की सापेक्ष योग्यता तय करने के लिए किया जाएगा और केवल तभी जब समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को उपलब्ध रिक्तियों के लिए समायोजित नहीं किया जा सकता है। साथ ही, पूर्ववर्ती कारक को लागू करने के बाद उत्पन्न होने वाली टाई के मामले में, उपरोक्त कारकों के क्रम का सख्ती से पालन किया जाएगा।
11. वेटेज की प्रणाली न केवल संपूर्ण पद्धति को निष्पक्षता प्रदान करती है बल्कि चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और एकरूपता भी सुनिश्चित करती है। अतः, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदकों की तुलनात्मक योग्यता का आकलन करने के लिए डीओपीटी द्वारा जारी निर्देशों के साथ-साथ वेटेज अंक प्रणाली का सख्ती से पालन किया जाएगा।
12. अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने का दावा करने वाले पात्र उम्मीदवारों द्वारा **परिशिष्ट-1** के अनुसार सापेक्ष योग्यता बिंदु प्रणाली के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।
13. आवेदक को यह वचन भी प्रस्तुत करना होगा कि वह संबंधित सरकारी कर्मचारी पर आश्रित अन्य

पारिवारिक सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा और यदि बाद में (किसी भी समय) यह साबित हो जाता है कि परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है या उनका भरण-पोषण उसके द्वारा समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

14. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी/दस्तावेज उचित अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अधीन होंगे। और, यदि किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज झूठे/गलत/जाली पाए जाते हैं, तो उम्मीदवार के आवेदन को बिना किसी सूचना के सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा, नियुक्ति के प्रस्ताव के जारी होने और ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद भी, यदि कोई गलत जानकारी प्रस्तुत की जाती है, तो इससे नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है और/या सेवाओं को तुरंत समाप्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों को भविष्य में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।



राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर

हमीरपुर (हि.प्र.) - 177 005 (भारत)

[भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान]

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY HAMIRPUR

HAMIRPUR (H.P.) - 177 005 (INDIA)

[An Institute of National Importance under Ministry of Education (Shiksha Mantralaya)]

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों के मामलों पर विचार करने के लिए रिलेटिव मेरिट प्वाइंट सिस्टम (आरएमपीएस)

(A) 100 Point Criterion with 11 variables

(i) एनपीएस के तहत प्राप्त मूल पारिवारिक पेंशन/पेंशन/मासिक राशि (अधिकतम 20 अंक)

क्र. सं.	स्लैब (रु. में)	अंक
1	12500/- तक	20
2	12501/- से 15500/-	18
3	15501/- से 18500/-	16
4	18501/- से 21500/-	14
5	21501/- से 24500/-	12
6	24501/- से 27500/-	10
7	27501/- से 30500/-	08
8	30501/- से 33500/-	06
9	33501/- से 36500/-	04
10	36501/- से 39500/-	02
11	39500/- से अधिक	00

नोट: प्रशासन शाखा द्वारा सर्विस रिकॉर्ड से सत्यापित किया जाना है।

(ii) सरकारी कर्मचारी की चिकित्सा आधार / सेवानिवृत्ति पर मृत्यु पर परिवार द्वारा प्राप्त एकमुश्त राशि (DCRG, CGEGIS, GPF/NPS और अवकाश नकदीकरण के तहत प्राप्त एकमुश्त राशि) - (अधिकतम 10 अंक)

क्र. सं.	स्लैब (रु. में)	अंक
1	500000/- तक	10
2	500001/- से 650000/-	09
3	650001/- से 800000/-	08
4	800001/- से 950000/-	07
5	950001/- से 1100000/-	06
6	1100001/- से 1250000/-	05
7	1250001/- से 1400000/-	04
8	1400001/- से 1550000/-	03
9	1550001/- से 1700000/-	02
10	1700001/- से 1850000/-	01

11	1850000/- से अधिक	00
----	-------------------	----

नोट: प्रशासन शाखा द्वारा सर्विस रिकॉर्ड से सत्यापित किया जाना है।

(iii) परिवार के कमाने वाले सदस्यों की मासिक आय और संपत्ति से आय - (अधिकतम 05 अंक)

क्र. सं.	स्लैब (रु. में)	अंक
1	कोई आय नहीं	05
2	7500/- या उससे कम	04
3	7501/- से 10500/-	03
4	10501/- से 13500/-	02
5	13501/- से 16500/-	01
6	16501/- और इससे अधिक	00

नोट: दस्तावेजों (जैसे बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, राजस्व अधिकारियों से प्रमाण पत्र, नियोक्ता का बयान आदि) और आवेदक द्वारा प्रस्तुत हलफनामे से सत्यापित किया जाना है।

(iv) चल/अचल संपत्ति, सावधि जमा/बैंक जमा/निवेश आदि सहित लेकिन ऊपर (ii) में उल्लिखित एकमुश्त राशि को छोड़कर - (अधिकतम 05 अंक)

क्र. सं.	स्लैब (रु. में)	अंक
1	Nil/-	05
2	500000/- तक	04
3	500001/- से 1000000/-	03
4	1000001/- से 2000000	02
5	2000001/- से 3000000/-	01
6	3000000/- से अधिक	00

नोट: आवेदक द्वारा प्रस्तुत और सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सेवा रिकॉर्ड, राजस्व/नगरपालिका प्राधिकरणों/संबंधित विभागों आदि से दस्तावेजों/शपथपत्रों/प्रमाण पत्र से सत्यापित किया जाना है। इसके अलावा, चल और अचल संपत्ति के बारे में एक घोषणा आवेदकों से प्राप्त की जाएगी, जो सत्यापन के अधीन होगी।

(v) आश्रितों की संख्या (अधिकतम 06 अंक)

क्र. सं.	आश्रितों की संख्या	अंक
1	03 और इससे अधिक	06
2	02	04
3	01	02
4	00	00

नोट: प्रशासन शाखा द्वारा सर्विस रिकॉर्ड से सत्यापित और प्रमाणित किया जाना है।

(vi) अविवाहित बेटियों की संख्या (अधिकतम 08 अंक)

क्र. सं.	अविवाहित बेटियों की संख्या	अंक
1	02 और इससे अधिक	08
2	01	04
3	00	00

नोट: सर्विस रिकॉर्ड से सत्यापित किया जाना है। अविवाहित स्थिति प्रमाण पत्र / शपथ पत्र जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा नोटरीकृत जो कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(vii) नाबालिग बच्चों की संख्या (अधिकतम 08 अंक)

क्र. सं.	नाबालिग बच्चों की संख्या	अंक
1	02 और इससे अधिक	08
2	01	04
3	00	00

नोट: सक्षम अधिकारियों द्वारा सर्विस रिकॉर्ड से सत्यापित और प्रमाणित किया जाना है।

(viii) सरकारी कर्मचारी की मृत्यु / चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति की तारीख को मृतक के प्रतिष्ठित बैंकों से संस्थागत ऋण या ऋण देनदारियों के लिए अंक: (अधिकतम 05 अंक)

क्र. सं.	देनदारियां	अंक
1	रु. 1500000/- और उससे अधिक	05
2	रु. 900001/- से 1200000/-	04
3	रु. 600001/- से 900000/-	03
4	रु. 300001/- से 600000/-	02
5	रु. 300000/- तक	01

नोट: सहायक दस्तावेज आवेदक द्वारा संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने हैं

(ix) लेफ्टओवर सर्विस (अधिकतम 14 अंक)

क्र. सं.	लेफ्टओवर सर्विस	अंक
1	25 वर्ष से अधिक	14
2	20 से 25 वर्ष तक	12
3	15 से 20 वर्ष तक	10
4	10 से 15 वर्ष तक	08
5	05 से 10 वर्ष तक	06
6	02 से 05 वर्ष तक	04
7	02 वर्ष से कम	02

नोट: प्रशासन शाखा द्वारा सर्विस रिकॉर्ड से सत्यापित और प्रमाणित किया जाना है।

(x) तत्काल राहत के लिए अंक (अधिकतम 15 अंक)

क्र. सं.	मामलों की अवधि	अंक
1	01 वर्ष तक	15
2	01 वर्ष से अधिक और 02 वर्ष तक	12
3	02 वर्ष से अधिक और 03 वर्ष तक	09
4	03 वर्ष से अधिक और 04 वर्ष तक	06
5	04 वर्ष से अधिक और 05 वर्ष तक	03
6	05 वर्ष से अधिक	00

नोट: प्रशासन शाखा द्वारा सर्विस रिकॉर्ड से सत्यापित और प्रमाणित किया जाना है।

(xi) दिव्यांगता और पुरानी बीमारी के मामलों वाले व्यक्ति (अधिकतम 04 अंक)

क्र. सं.	विवरण	अंक
1	यदि आवेदक विकलांग व्यक्ति है	04
2	यदि आश्रित परिवार का सदस्य (आवेदक के अलावा) विकलांग व्यक्ति है	03
3	यदि आश्रित परिवार का सदस्य एड्स, कैंसर, किडनी फेल्योर, हार्ट अटैक, लिवर सिरोसिस, लिवर/हार्ट/किडनी का अंग प्रत्यारोपण, अल्जाइमर से पीड़ित है।	02

नोट: केन्द्र सरकार में नियुक्ति के लिए समय-समय पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण हेतु DoPT द्वारा यथा परिभाषित विकलांगता सुनिश्चित की जाएगी। संबंधित प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा सक्षम अधिकारियों से प्रदान किए जाने हैं।

(B) बोनस अंक

विधवा/पत्नी को बोनस अंक: आरएमपी के तहत आवंटित अंकों के अलावा, आवेदक को 15 बोनस अंक आवंटित किए जाएंगे यदि वह मृत कर्मचारी की विधवा / पत्नी है जो चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुई है।

Undertaking

मैं, _____ स्वर्गीय श्री/श्रीमती _____ का
पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति _____
_____ की/का

रहने/रहनी वाला/वाली हूँ, एतद्वारा यह वचन देता/देती हूँ कि:

i. मेरी शादी (शादी की तारीख _____) को हुई है, और मेरे
पति या पत्नी और बच्चों के नाम इस प्रकार हैं:

- a)
- b)
- c)
- d)

ii. मैं अविवाहित हूँ

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

नाम

सहमति पत्र

स्वर्गीय श्री/श्रीमती _____ के अन्य आश्रित परिवार के सदस्यों से।

पदनाम: _____

विभाग: _____

विषय: अनुकंपा श्रेणी के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन
श्री/सुश्री से दिनांक का आवेदन

श्री/श्रीमती _____ स्वर्गीय श्री/श्रीमती _____ का पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति (मृत कर्मचारी) ने सेवाकाल में मरने वाले कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए आवेदन किया है।

हमें, मृतक कर्मचारी श्री/श्रीमती _____ के अन्य आश्रित परिवार के सदस्यों को, यदि आवेदक श्री/श्रीमती _____ को उक्त नियुक्ति दी जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है तथा हम इसके लिए अपनी सहमति देते हैं।

मृतक कर्मचारी के सभी वयस्क आश्रित परिवार के सदस्यों (आवेदक के अलावा) के नाम, पता और दिनांकित हस्ताक्षर :

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

आवेदक द्वारा स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

मैं,, श्री/श्रीमती (मृतक
सरकारी कर्मचारी) का पुत्र/पुत्री/विधवा/विधुर,
..... का निवासी, दिनांक
..... के अपने आवेदन द्वारा सरकारी कर्मचारी (सेवा में मृत्यु हो गई) या चिकित्सा
आधार पर सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति
प्रदान करने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया है।

मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित प्रतिज्ञान एवं घोषणा करता हूँ:

1. मैं दिवंगत सरकारी कर्मचारी श्री/श्रीमती के आश्रित परिवार के सदस्यों
में से एक हूँ तथा अन्य वयस्क आश्रित परिवार के सदस्यों, जिनका विवरण नीचे दिया
गया है, ने सहमति दे दी है कि अनुकंपा श्रेणी के तहत नियुक्ति प्रदान करने हेतु मुझ पर
विचार किया जा सकता है।
2. मृतक सरकारी कर्मचारी श्री श्रीमती के सभी आश्रित परिवार के सदस्यों
का विवरण निम्नानुसार है (आवेदक सहित):

क्र. सं.	आश्रित परिवार के सदस्य का नाम और पता	मृतक के साथ संबंध	सेक्स	जन्म तिथि	वैवाहिक स्थिति	क्या कार्यरत हैं, यदि हां, तो ब्यौरा क्या सरकारी/अर्धसरकारी/ निजी/नियमित/अस्थायी/दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं?	सभी स्रोतों से मासिक आय/अर्जन जिसमें रोजगार, व्यवसाय, किराये की आय, संपत्ति से आय आदि शामिल हैं।
1							
2							
3							
4							
5							
6							
		परिवार की कुल मासिक आय (आवेदक सहित)					

3. मैं यह भी घोषित करता हूँ कि उपरोक्त पैरा 2 में वर्णित आश्रित परिवार के सदस्यों में से निम्नलिखित मृतक सरकारी कर्मचारी श्री/श्रीमती की अविवाहित पुत्रियाँ हैं:

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	पेशा
1				
2				
3				
4				
5				

4. मृतक सरकारी कर्मचारी श्री/श्रीमती या मेरे या मृतक के किसी अन्य आश्रित परिवार के सदस्य के नाम पर चल/अचल संपत्ति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- दो पहिया वाहनों की संख्या (स्कूटर/मोटरसाइकिल आदि):
- चार पहिया वाहनों की संख्या (कार/जीप आदि):
- आवासीय संपत्ति का ब्यौरा:

स्थान एवं विवरण	प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)	चाहे वह स्वयं के उपयोग के लिए हो या किराए पर दिया गया हो	यदि किराए पर दिया गया है, तो मासिक किराया से आय

- iv. कृषि भूमि:

स्थान एवं विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)	कृषि भूमि से मासिक आय, यदि कोई हो

v. वाणिज्यिक संपत्ति:

स्थान एवं विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	वाणिज्यिक संपत्ति से मासिक आय, यदि कोई हो

अचल संपत्ति से कुल मासिक आय: रु.

(आवासीय, कृषि और वाणिज्यिक का कुल योग)

5. मृतक सरकारी कर्मचारी श्री/श्रीमती के नाम पर देयताओं का ब्यौरा निम्नलिखित है (बैंक ऋण/सरकारी ऋण/अन्य प्रतिष्ठित ऋण एजेंसियों से दिए जाने वाले ऋण, लेकिन निजी/पारिवारिक ऋण को छोड़कर जो सत्यापन योग्य नहीं हैं, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/सरकारी कर्मचारी की चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति की तिथि तक):

क्र.सं.	ऋण का प्रकार	राशि (मृतक की मृत्यु की तिथि के अनुसार)	दावे के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां
(i)	बैंक ऋण देय		
(ii)	देय सरकारी ऋण		
(iii)	अन्य ऋण देने वाली एजेंसियों से देय ऋण		
(iv)	अन्य मूर्त देयताएँ दस्तावेजों के अनुसार सत्यापित की जा सकती हैं/ निर्दिष्ट की जा सकती हैं)		
	कुल		
(कृपया बैंकों/ऋण देने वाली संस्थाओं से संबंधित दस्तावेज/प्रमाणपत्र संलग्न करें।)			

6. मैं यह भी घोषणा और वचन देता हूँ कि अनुकंपा श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति मिलने पर मैं मृतक श्री/श्रीमती के अन्य आश्रितों/परिवार के सदस्यों, जिनमें नाबालिग बच्चे और अविवाहित पुत्रियां भी शामिल हैं, का भरण-पोषण करूंगा।

7. मुझे ज्ञात है कि यदि बाद में (किसी भी समय) यह साबित हो जाता है कि अन्य आश्रितों/परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है या मेरे द्वारा उनका ठीक से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो मेरी नियुक्ति तत्काल समाप्त की जा सकती है।

साक्षी

(आवेदक)

सत्यापन: आज दिन..... (स्थान) पर सत्यापित किया जाता है कि शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

(आवेदक)